



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु0)
18 सांस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 26858570 Fax 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2018-19/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 20.04.2018

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश


माननीय सांसद Shri Chhotelal, के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 84 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2018-19 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	सुयस चतुर्वेदी	श्री तरूण कुमार चौबे, ग्राम चरकोनवा, पो. पफरहट, चतरा सोनभद्र	I	चोपन
2	प्रीती मौर्य	श्री कमलेश मौर्य, ग्रा. पटवध. पो. केवटम, चोपन, सोनभद्र	VIII	चोपन
3	यथार्थ तिवारी	श्री विवेक कुमार तिवारी वार्ड न. 9 चोपन सोनभद्र	IX	चोपन
4	आर्या सिंह	श्री अमित कुमार मौर्य ग्राम चोपन गांव सोनभद्र	I	चोपन
5	कुमार अनमोल	श्री श्यामलाल, ग्राम कुरूहुल, पो. चोपन, सोनभद्र	I	चोपन
6	युवराज सिंह	श्री विनोद कुमार सिंह, वार्ड न. 07, प्रतिनगर, चोपन, सोनभद्र	I	चोपन
7	सूरज सिंह	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, ग्राम बरहुआ, पो. सैदुपुर, चोकिया, चन्दौली	VII	चोपन
8	दिनेश कुमार	श्री संतोष कुमार, ग्राम कोरट, पो. रोजुल, सोनभद्र	VI	चोपन
9	प्रशांत शुक्ल	श्री मणीराम शुक्ल, प्रतिनगर, चोपन, सोनभद्र	IX	चोपन
10	अंश कुमार सिंह	श्री शमशेर बहादुर सिंह, ग्रा. सारडीह (बीकापुर) चकिया चन्दौली	III	NTPC शक्तिनगर

कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2018-19 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 15.05.2018 है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थियों के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।


संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)
14/08

प्रतिलिपि:

1. Shri Chhotelal, माननीय संसद सदस्य 70, North Avenue, New Delhi-110 001:- सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, वाराणसी संभाग को सूचनार्थ।
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।